संख्या–2323 / 14–2–2017–800(32) / 2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 02 नवम्बर 2017

विषयः– शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर–गणेशपुर भाग (एन0एच0–72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रूडकी–छुटमुलपुर–सहारनपुर यमुनानगर (एन0एच0–73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सामाजिक वानिकी सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक–1025 / सहारनपुर, दिनांक 11–10–2017 एव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 48 / 2017 / एफसी / 75, दिनांक 14–8–2017 का संदर्भ ग्रहण करे।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु वन संरक्षक सहारनपुर के पत्र संख्यां–727 / 14–10, दिनांक 04–9–2017 संलग्न किये जाने का उल्लेख है, जो प्रस्ताव के साथ उपलब्ध नहीं है।

3– अतएव प्रस्ताव के साथ उल्लिखित वन संरक्षक सहारनपुर के पत्र संख्या–727 / 14–10, दिनांक 09–10–2017 की छायाप्रति के साथ भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सम्बंधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों का विवरण तालिका में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव